न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

फौजदारी प्रकरण सख्या 02/2017

सरकार जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, अजमेर

– प्रार्थी

ब ना म

श्री भारत पुत्र श्री शंकरलाल जाति रेगर, निवासी रेगर मौहल्ला, नया शहर किशनगढ, पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर

– गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975

उपस्थित:–

1. श्री सुरेश कुमार बुडानिया, सहायक अभियोजन अधिकारी अजमेर
2. श्री राजकुमार रावत, वकील गैरसायल की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक–30.05.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर द्वारा एक इस्तगासा पुलिस अधीक्षक अजमेर के माध्यम से जरिये एपीपी प्रथम के श्री भारत पुत्र श्री शंकरलाल जाति रेगर, निवासी रेगर मौहल्ला, नया शहर किशनगढ, पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का दिनांक 31.05.2017 को इस आशय का पेश किया कि गैरसायल अवैध जुआ सट्टा खेलने का आदी है। गैरसायल के विरूद्ध पुलिस थाना किशनगढ में मुकदमा नम्बर 82/2016 दिनांक 02.04.2016 व मुकदमा नम्बर 99/2016 दिनांक 22.04.2016 दर्ज हुये है।ऐसे व्यक्ति न केवल परिवार एवं समाज के लिए अपीतु राज्य के लिए खतरनाक एवं संकट उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति की निगरानी एवं नियंत्रण रखा जाना अपिरहार्य है ताकि क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने एवं गुण्डा तत्वों पर अंकुश लगाने की कार्यवाही हो सकें। इस प्रकार गैरसायल द्वारा धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 में परिभाषित धारा "ख" (2) की उपधारा 3 के अधीन इस्तगासा प्रस्तुत कर गैरसायल को अजमेर जिले से निष्काषित करने की प्रार्थना की गई है।

गैरसायल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 का बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व गैरसायल को प्रपत्र–1 में नोटिस जारी किया गया कि वे न्यायालय में

अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपस्थित होकर अपने आरोपों के बारे में लिखित स्पष्टीकरण पेश करें व वजह जाहिर करे कि राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत उनके विरूद्ध आदेश क्यों नहीं दिया जावें।

गैरसायल जरिये वकील उपस्थित हुये। उन्होंने जवाब नोटिस पेश किया।गैर सायल की ओर से वकील गैर सायल द्वारा उनके बयान दर्ज नहीं करवाने पर शहादत बन्द की जाने के पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। दोनो पक्षकारों की शहादत बन्द होने पर बहस सुनी गई व रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

सहायक अभियोजन अधिकारी ने बहस के दौरान कथन किया कि दस्तावेजी सबूत से बखूबी साबित होता है कि गैरसायल जुआ–सट्टा खेलने का आदी है। ए.पी.ओ. ने बहस के दौरान कथन किया कि गैरसायल को वर्ष 2016 मे 2 बार धारा 13 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के अधीन दण्डित किया जा चुका है। गैरसायल वर्तमान में भी अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है तथा लडाई झगडा करने का आदी होने से समाज में भय व्याप्त है तथा कोई भी व्यक्ति भयवश गैर सायल के विरूद्ध रिपोर्ट नहीं करता है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि गैरसायल को धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 के तहत अजमेर जिले से निष्कासित किया जावें।

सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील गैरसायल का कथन है कि उन पर लगाये गये समस्त आरोप बिल्कुल निराधार है। उनका कथन है कि सहायक अभियोज़न अधिकारी ने कथन किया है कि गैर सायल के विरूद्ध 2 प्रकरण वर्ष 2016 में दर्ज हुये है, जिसे गैर सायल द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उसका निस्तारण करवा लिया है। दोनों ही सामान्य प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आते हैं जिसमें उसे एक भी दिन के कारावास की सजा नहीं हुई है। उनका यह भी कथन है कि गैर सायल के विरूद्ध कभी मारपीट या लोगों को धमकाने का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। गैर सायल द्वारा दोनों प्रकरण लोक अदालत की भावना से निस्तारित करवाये गये है। वकील गैर सायल ने यह भी कथन किया कि गैर सायल शान्ति प्रिय व सामाजिक प्राणी है जो मजदूरी करके अपना व परिवार का भरण पोषण कर रहा है तथा उक्त दोनों प्रकरणों के अलावा वर्ष 2016 से आज तक कोई अन्य अपराध कारित करने के दस्तावेज रेकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि गैर सायल को उक्त प्रकरण में झूठा फसाया गया है तथा गैर सायल के विरूद्ध कभी भी लोक परिशान्ति भंग करने के आरोप में पाबन्द या अभियोजित नहीं किया गया तथा न ही कभी किसी व्यक्ति या गवाह ने गैर सायल के विरूद्ध कोई शिकायत दर्ज करवाई है। अतः गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम, 1975 की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः गैर सायल के विरूद्ध उक्त नियम के तहत कार्यवाही निरस्त कर उन्हें दोष मुक्त किया जावें।

हमने उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। इस्तगासा पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि गैर सायल वर्तमान में भी अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है। इसके अतिरिक्त गैर सायल के विरूद्ध पुलिस थाना किशनगढ में 2 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 राजस्थान द्यूत (जुआ) अध्यादेश

अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

1949 के दर्ज हुये है जिनमें गैर सायल को दण्डित किया गया है। गैर सायल द्वारा किये गये अपराध गंभीर प्रवृत्ति के नहीं है तथा वर्ष 2016 के पश्चात् उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है तथा न ही कोई शिकायत अथवा मुकदमा दर्ज हुआ है। ऐसी स्थिति में गैरसायल को जिला बदर जैसे कठोर दण्ड से दण्डित करना हम उचित नहीं समझते है। चूंकि पूर्व में उन्हें धारा 13 राजस्थान द्यूत (जुआ) अध्यादेश 1949 के अन्तर्गत 2 प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषी करार देकर दण्डित किया गया है। ऐसी स्थिति में गैर सायल की गतिविधियों पर नजर रखा जाना आवश्यक है।

अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल श्री भारत पुत्र श्री शंकरलाल जाति रेगर, निवासी रेगर मौहल्ला, नया शहर किशनगढ, पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर को आदेश दिये जाते है कि वे आदेश की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के लिये सप्ताह में 2 बार सोमवार एवं शनिवार को थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर के समक्ष उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवावें। गैर साय़ल को यदि जिले से बाहर जाना हो तो थानाधिकारी नसीराबाद सदर से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। यदि एक सप्ताह की अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 2 (बी) में वर्णित प्रावधानानुसार अपराधिक मुकदमें दर्ज हो तो थानाधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के तहत पुनः नियमानुसार कार्यवाही की जावें। आदेश की प्रति गैर सायल को दी जावें तथा जिला मजिस्ट्रेट अजमेर, पुलिस अधीक्षक अजमेर तथा थानाधिकारी पुलिस थाना किशनगढ व नसीराबाद को प्रति भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर।
(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,अजमेर

क्रमांक/सरिस्ता/अपर/18/1809-13 दिनांक :- 5.6.18

प्रतिलिपी :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
2. जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर
3. थानाधिकारी, पुलिस थाना किशनगढ
4. थानाधिकारी, पुलिस थाना नसीराबाद सदर।
5. श्री भारत पुत्र श्री शंकरलाल जाति रेगर, निवासी रेगर मौहल्ला, नया शहर किशनगढ, पुलिस थाना किशनगढ जिला अजमेर

अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अजमेर।
(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट,अजमेर

Scanned by CamScanner